कृष्ण मूर्ति स्थापना के लिए बीजेपी पूर्व पार्षद दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर

सिनसिना बुर्ज पर कृष्ण भगवान की नई मूर्ति की स्थापना को लेकर बीजेपी की पूर्व पार्षद ने धरना दिया।

भरतपुर (निस)। भरतपुर के किले स्थित सिनसिना बुर्ज पर कृष्ण भगवान की नई मूर्ति की स्थापना को लेकर बीजेपी की पूर्व पार्षद धरना दे रहीं हैं। उन्हें भूख हड़ताल शुरू किए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है। उनकी मांग है कि सिनसिना बुर्ज पर लगी भगवान श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति को विसर्जन कर नई मूर्ति को स्थापित किया जाए।

■ **बिहारी जी मंदिर परिक्रमा मार्ग मे श्री कृष्ण भगवान की पत्थर से बनी चरण पादुका काफी लंबे समय से खंडित है**

आमरण अनषन के दूसरे दिन जिला प्रषासन हरकत में आया प्रषासन और पुलिस के अधिकारी बिहारी जी मंदिर पर चल रहे अनशन स्थल पर पहुंचे जहा पूर्व पार्षद जितेंद्र कौर से अनशन समाप्त करने के बारे में चर्चा की अनशन स्थल पर एसडीएम भारती गुप्ता, तहसील संजय गुर्जर, एसएचओ मथुरा गेट देरावर सिंह, पटवारी ब्रजमोहन पाठक, इतिहासकार महेन्द्र सिकरवार, सहित अन्य लोगों ने वार्ता की लेकिन अनशनकारी जितेन्द्र कौर ने कहा की 6 महिने पहले प्रशासन ने मूर्ति लगाने के लिए कहा था लेकिन समय निकलने के बाद भी कार्यवाही नही हुई। अब लिखित में प्रशासन कार्यवाही करें जब तक मूर्ति नही लगेगीं तब तक अनशन जारी रहेगा। बाद में जिला प्रषासन, पुरातत्व विभाग एवं पुलिस अधिकारियों ने सिनसिना बुर्ज पर जाकर देखा। बताया गया है कि वहा पर श्री कृष्ण भगवान की पत्थर से बनी चरण पादुका से जुडे अवषेष मिले है। अनषनकारी की जनहित एवं धार्मिक भावना को ध्यान मे रखते हुये लगता है कि अब प्रशासन जल्दी ही कार्यवाही करेगा। जिससे कडाके की ठंड में चल रहा अनषन तुडवाया जा सके। धरने पर बैठी बीजेपी की पूर्व पार्षद जितेंद्र कौर ने बताया कि बिहारी जी मंदिर की परिक्रमा मार्ग में सिनसिना बुर्ज के पास श्री कृष्ण भगवान की पत्थर से बनी चरण पादुका काफी लंबे समय से खंडित है। करीब 6 महीने पहले जितेंद्र कौर ने इसी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था उसके बाद भी श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुका को बदला नहीं गया।इसलिए वह कल दोपहर 3 बजे से धरने पर बैठ गई हैं।जितेंद्र कौर ने बताया कि महाराजा सूरजमल ने जब भरतपुर को बसाया है। जब भरतपुर की स्थापना की गई तो, दो मूर्ति स्थापित की गई। वह सिनसिनवार थे इसलिए उन्होंने सिनसिना बुर्ज पर कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित की थी। दूसरी मूर्ति हनुमान भगवान की स्थापित की गई थी। हनुमान जी मूर्ति भी खंडित हुई थी। वह सही करवा दी गई।

अवैध चैचा पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

टोंक। जिले के अलीगढ में वन विभाग ने बुधवार रात्रि को कार्यवाही करते हुए अवैध चेजा पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। यह कार्यवाही उपवन संरक्षक वीरेंद्र कृष्णिया के निर्देशन में अवैध पत्थर खनन और परिवहन की प्रभावी रोकथाम के लिए गठित टीम ने की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान अलीगढ़क्षेत्र में अवैध चेजा पत्थर से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकडा गया, जब्त वाहन को अलीगढ थाना परिसर में खडा कराया गया है। इस कार्यवाही में उनियारा थाना प्रभारी मुकेश चौधरी, सहायक वनपाल नरेंद्र वर्मा, वनरक्षक जितेंद्र चौधरी, आसिफ, संतोष और अन्य वनकर्मी शामिल थे।

खोया पाया

मेरे आवास प्लाट नं. 30 साहुतेलिया समाज सामूहिक आवास कॉलोनी सीतापुरा सांगानेर जयपुर का मूल का पट्टा वे साइड प्लान, रसीद कहीं खो गये है जो कि तेलिया समाज सामूहिक आवास कॉलोनीव द्वारा बाबूलाल साहू के नाम से जारी है मिलने पर सूचित करें। 8619982405

श्रीमान जी मेरे भूखण्ड सं. 9 भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकरवाडी जयपुर का पंजीकृत जेडीए मूल पट्टा साईट प्लान और संलग्न स्टाम्प पेपर कहीं गुम हो गये है सूचित करें-जयसिंह मो. 7988370616

रजिस्ट्रेशन नं. 2928 / L
महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर (राज.)
आम सूचना
समिति की योजना **श्री हनुमान नगर (घेघा, बगरु) में प्लाट नं. 52, श्री विकास जांगिड** के नाम आवंटन किया गया था। उसके **कागजात गुम हो जाने के कारण** सदस्य ने **पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराकर राष्ट्रदूत में खोया-पाया में 4 जनवरी 2026 के अखबार में निकालकर समिति में दुबारा डुप्लीकेट आवंटन बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।** इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो समिति कार्यालय में 7 दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा इनका आवंटन पत्र दुबारा बना दिया जावेगा। इसके बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
मंत्री, महाराणा प्रताप गृह निर्माण सह. समिति लि. मो. 9314878787

Publication Requiring Attendance Of Defendant
(Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
Before MS. Abha Malhotra, Sole Arbitrator
Arbitration Proceeding Arising Out Of ARB. Petition No. 602/2022. IN THE MATTER OF:
Shell India Markets Pvt. Ltd. ....Plaintiff Vs
Morani Motorparts Pvt. Ltd. ... Defendant
1. M/s Morani Motorparts Pvt. Ltd. Through its Directors, Having its registered address at: F 2152, Ramchandrapura, Riico Industrial Area, Sitapura Jaipur, Rajasthan –302022 Email: moranimobis@gmail.com ; moanihyundaisales@gmail.com
2. Also At: **Marriage Garden,** Mangayavas, New Sanganer RD, Mansarovar, Plot: 71-103, Tirupati Vihar, Near Radhe, Jaipur Rajasthan -302020
3. **Reshma Morani** Director, M/s Morani Motorparts Pvt. Ltd. Marriage Garden, Mangayavas New Sanganer RD, Mansarovar, Plot No. 71-103, Tirupati Vihar, Near Radhe, Jaipur Rajasthan - 302020 Email: moranimobis@gmail.com ; moanihyundaisales@gmail.com
4. Lal Chand Morani; Director, M/s Morani Motorparts Pvt. Ltd. Marriage Garden, Mangayavas New Sanganer RD, Mansarovar, Plot No. 71-103, Tirupati Vihar, Near Radhe, Jaipur Rajasthan - 302020 Email: moranimobis@gmail.com ; moanihyundaisales@gmail.com
5. **Mayank Tyagi** Director, M/s Morani Motorparts Pvt. Ltd. Marriage Garden, Mangayavas New Sanganer RD, Mansarovar, Plot No. 71-103, Tirupati Vihar, Near Radhe, Jaipur Rajasthan - 302020 Email: moranimobis@gmail.com ; moanihyundaisales@gmail.com
Whereas you are intentionally evading the service of summons. It is hereby notified that if you shall not file your reply within 30 days of this Publication and not defend the case on 13.01.2026 at 03:00 pm, before the Ld. Arbitrator, Ms. Abha Malhotra, at B-107, LGF, Defence Colony, New Delhi- 110024., the matter shall be heard and determined ex-parte.
NOTE: Having Circulation Of The Address Of Respondent Mentioned Above.

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित औद्योगिक शेड प्रोजेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल शेड फॉर सिरेमिक टेबलवेयर यूनिट प्लॉट नं. A-424, A-425, A-426, A-427, B-420, B-421, B-422, B-423, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, मंदा फेज–2, जिला जयपुर, राजस्थान जिसका कुल भूखण्ड क्षेत्र 72,000 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र 40,260.82 वर्ग मीटर है पर भवन निर्माण के लिए वर्तमान में जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पत्र संख्या RJ/25/SEAC2(06)INFRA2/EC/0836 दिनांक 31/12/2025 को प्रदान कर दी गई है। सहमति प्रपत्र की प्रति पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है। क्ले क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
क्रमांक-129 दूरभाष संख्या-0141-4901853 दिनांक-08/01/26
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-9/803 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 276.88 वर्गमीटर का आवंटन श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 26.06.1984 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-प्रथम में दिनांक 13.03.1992 को करवाया गया। श्री मनोहर सिंह की मृत्यु दिनांक 25.08.2016 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री गुरशिन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री मनोहर सिंह के द्वारा उक्त आवास में से 5/6 हिस्से का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है एवं उनकी पुत्री हरजीत कौर पुत्री स्व. श्री मनोहर सिंह के द्वारा आवास में से 1/6 हिस्से का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री गुरशिन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री मनोहर सिंह एवं हरजीत कौर पुत्री स्व. श्री मनोहर सिंह के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2025/210
चूंकि प्रार्थी श्री ASHOK KUMAR BANSAL, Hanuman Sharan Vatika, Near TV Tower, Amai Road, Kotputli ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास **हंस शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोटपुतली KOTPUTLI** के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन- पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18/03/2026
सहायक आयुक्त
मुहर **देवस्थान विभाग, जयपुर- द्वितीय**

उत्तर पश्चिम रेलवे — **शुद्धि पत्र**
ई–निविदा नोटिस संख्या एस एण्ड टी प्रोजेक्ट–जेपी–2025–26–04 दिनांक 02.01.2026 कार्य का नाम : उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में एलटीई/यूएचएफ और कवच कार्य के सम्बन्ध में लेटीस टावरों को लगाने का प्रावधान। **1.** "**प्रीबिड मीटिंग की तारीख को 14.01.2026 की जगह 13.01.2026 कर दी गई है।**" **2. ई–टेण्डर नोटिस सं. एस एण्ड टी प्रोजेक्ट– जेपी–2025–26–04 दिनांक 02.01.2026** के विज्ञापन प्रकाशन में नोटिस बोर्ड की लोकेशन उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर/परियोजना/जयपुर ऑफिस रहेगी। **3.** निविदा सं. एस एण्ड टी प्रोजेक्ट– जयपुर–2025–26–04 पढ़ा जाए। **4.** ई–टेण्डर नोटिस में बाकी शर्तें यथावत रहेगी।
48-DR/26 उप.मु.सिंग एवं दूर सं. इंजी./परियोजना/II, जयपुर

रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस का नाम मूकमाटी एक्सप्रेस हुआ

■ **ट्रेन का नाम बदलने पर सम्पूर्ण जैन समाज में खुशी की लहर है**

निवाई। राष्ट्रीय संत समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर महाराज एवं आचार्य समय सागर महाराज के आशीर्वाद से आर्यिका पूर्णमति माताजी के मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन से रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस अब मूकमाटी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। अखिल भारतीय जैन धर्म प्रचारक विमल जौला व सुनील भाणजा ने बताया कि भारत सरकार रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड ने घोषणा करते हुए जैन धर्म के आचार्य विद्यासागर महाराज की तपोस्थली से समाधि स्थली तक जाने वाली जबलपुर से रायपुर एक्सप्रेस वाया डोंगरगढ़ ट्रेन का नाम मूकमाटी रखने पर सम्पूर्ण जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बताया कि आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से एवं जैन समाज गौरव राज्य सभा सांसद नवीन जैन दिल्ली के अथक प्रयासों से ट्रेन का नाम मूकमाटी एक्सप्रेस होने पर नेमीचंद गंगवाल, धर्मचन्द चंवरिया, महावीर प्रसाद पराणा, विनोद सुनारा, नगरपालिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र चंवरिया, महावीर प्रसाद पहाडी, राजेन्द्र बगडी, महावीरप्रसाद माधोराजपुरा, विष्णु बोहरा, लालचंद कठमाणा, महेन्द्र चंवरिया, मनोज पाटनी, सुरेश रजवास, पवन सांवलिया, सन्मति चंवरिया, अशोक कटारिया, हेमचंद संघी, सुशील आरामशीन, हुकमचंद जैन, रमेशचंद गिन्दोडी, रामपाल चंवरिया, सुरेशचंद भाणजा, विमल गिन्दोडी, शिखरचंद काला, अमित कटारिया, सुनिल भाणजा, मोहित चंवरिया, गोपाल कठमाणा, प्रेमचंद गिन्दोडी, पारसमल पहाडी, अशोक सिरस, महेन्द्र सारसोप, प्रेमचन्द सांवलिया, दिलीप भाणजा, राकेश संघी, विनय झांझरी, विमल पाटनी, नवरत्न टोंग्या, अरूण लटूरिया सहित कई गणमान्य नागरिकों ने एवं कई संस्थानों के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रेलमंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव एवं राज्य सभा सांसद नवीन जैन दिल्ली का आभार जताया है। इस दौरान आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर महाराज, आचार्य वर्धमान सागर महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज व मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज सहित अनेक जैन संतों की वन्दना करते हुए।

शहर जाम के हवाले, आमजन त्रस्त

पावटा। नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पालिका व पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते शहर के मुख्य मार्ग, सर्विस रोड, बाजार, बस स्टैंड व चौराहे रोजाना जाम के हवाले हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ ही दूरी तय करने में लोगों को आधा-आधा घंटा लग रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर आंख मूंदे बैठे हैं। अवैध पार्किंग, सड़कों पर पसरा अतिक्रमण और ट्रैफिक पुलिस की नदारदगी ने शहर को जाम का स्थायी शिकार बना दिया है। दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज, बुजुर्ग और नौकरीपेशा लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई बार एंबुलेंस तक जाम में फंस जाती है, लेकिन न पालिका को चिंता है और न पुलिस प्रशासन को। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतें और ज्ञापन केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। पालिका अवैध पार्किंगों का अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति कर रही है, जबकि पुलिस कभी-कभार चालान काटकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।

PUBLIC NOTICE
General Public is hereby informed that the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Rajasthan has accorded Environmental Clearance for the Proposed Resort project "Wyndham Grand Jaipur" at Khasra No. 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56 Village Gunawata Tehsil Amer, Jaipur, Rajasthan, promoted by Fine Acers Hotels and Resorts Private Limited. vide proposal SIA/RJ/INFRA2/494807/2024 dated 28/12/2025. General Public is further informed that copy of said Environmental Clearance letter is available on the websites of https://parivesh.nic.in/ For
Fine Acers Hotels and Resorts Pvt Ltd

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित रिसोर्ट परियोजना "विंडहैम ग्रैंड जयपुर", जो कि खसरा संख्या 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56 ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित फाइन एसर्स होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित है, इस पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान द्वारा पत्र संख्या SIA/RJ/INFRA2/494807/2024 दिनांक 28/12/2025 प्रदान कर दी गई है परियोजना से संबंधित स्वीकृति पत्र https://parivesh.nic.in/ वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वास्ते -
फाइन एसर्स होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

नाम परिवर्तन

मैं संजीव मेहता पुत्र श्री विजय कुमार मेहता निवासी 4/219 मोनिलेक हॉस्पिटल, जवाहर नगर जयपुर। मैंने अपना नाम संजीव कुमार मेहता से बदलकर संजीव मेहता (Sanjeev Mehta) रख लिया है। भविष्य में मुझे संजीव मेहता के नाम से जाना जाये।

मैंने अपना नाम नेहा भाकर (Neha Bhaker) से बदलकर नेहा भाखर (Neha Bhakhar) पत्नी गौतम भाखर रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे एस-43, महावीर नगर, टोंक रोड जयपुर

मैं सुषमा पत्नी नं. JC-473126W रैंक सुबेदार सुभाष चंद, निवासी ग्राम रामपुर तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली (बहरोड) राजस्थान 301416 में जिला न्यायालय बानसुर के मजिस्ट्रेड के समकक्ष शपथ पत्र संख्या BZ079008 दिनांक 04 सितम्बर 2025 के माध्यम से मैंने अपना नाम सुषमा से बदलकर सुषमा देवी कर लिया है।

In all my documents my name is Sanjeev Tiwari S/o Sh. Sheetal Prasad Tiwari But in my paas port my name is Sanjeev Kumar Tiwari, My real name is Sanjeev Tiwari for all furure purpose. Address A. D/5 Devi Marg, Banipark, Jaipur.

I army no. 10307202N Ex NK mangal chand resident of D-12, chandra nagar 9 dukan govindpura kallwar road jaipur that I want to change my dependent name from RINKU DEVI to RINKU KUMAWAT vide affidavit dated 5/1/26 before sub divisional magistrate jaipur city north.

'विकास योजनाओं में शिथिलता स्वीकार्य नहीं'

■ **एमजेएसए 2.0 स्वीकृति के बाद कार्य शुरू न होने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं सुना जाएगा, कृषि और वन विभाग धरातल पर दिखाएं प्रगति'**

■ **स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षारू टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अपेक्षित सुधार के निर्देश, पेंशन और पालनहार योजनाओं में लंबित प्रकरणों को मिशन मोड पर निस्तारित करने हेतु किया**

डीग भरतपुर (निस)। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने और विभागीय कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि गुड गवर्नेंस में पेंडेंसी (लंबित प्रकरण) के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को परिणाम-उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। योजना की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात भी यदि कार्य आरंभ नहीं होता है, तो इसका कोई भी जस्टिफिकेशन (औचित्य) स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सिरस में महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली

ग्राम पंचायत सिरस में धार्मिक अनुष्ठान को लेकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली।

सिरस। ग्राम पंचायत सिरस में धार्मिक अनुष्ठान को लेकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। सिरस के श्री केशवराय मंदिर परिसर में आचार्य ने पूजा अर्चना करवाकर कलश यात्रा को रवाना किया। कलश यात्रा में 51 महिलाए कलशों को सिर पर धारण करके चल रही थी।

कलश यात्रा का गांव में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। कलश यात्रा गढ के सामने से होते हुए मुख्य बाजार, माणक चौक, कालो का मोहल्ला होते हुए केशवराय मंदिर पहुंची।

जहां आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना करवाई। मंदिर परिसर में सप्तमी व्रत उद्यापन को लेकर हवन पूजन सहित कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती नसीम पत्नी श्री इस्लामुद्दीन निवासी प्लॉट नम्बर पी.नं. 40, नीलकण्ठ विहार, दवाई फैक्ट्री के पास, बैनाड रोड नांगल सिरस, जयपुर राजस्थान का पुत्र मोहम्मद आसिफ एवं पुत्र वधु शब्बो बानो मेरी अभिभाष्या के कहे मे नहीं है मेरी अभिभाष्या का कहना नहीं मानते है तथा ना ही मेरी अभिभाष्या की सेवा सुश्रा करते है जिस कारण मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र व पुत्र वधु को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब पुत्र व पुत्र वधु का मेरी अभिभाष्या की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
(मोहम्मद शाहिद कुरैशी) एडवोकेट, मो.नं. 9929011582

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 06/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री भानु प्रकाश शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास मंदिर श्री नवग्रह की वार्ड नं. 7, खारी कुई, शाहपुरा, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 133/2024 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास के नाम की अचल सम्पदा खसरा नम्बर 195, 202 व 203 ग्राम पीपलोद्नारायण देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 08.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 12.02.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/198
चूंकि प्रार्थी श्री ANANT KATYAYNI, 22 DELHI DARWAZA VIRATNAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मुक्ति धारा संस्थान किशोरी MUKTI AASHRAM KISHORI, TEHSIL THANAGAJI ALWAR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.03.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय**

PUBLIC NOTICE
IN THE SUPREME COURT OF INDIAN EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No. 18847 OF 2024
WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF
WITH
174333/2024-APPLICATION FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.
AND
174338/2024-APPLICATION FOR DELETING THE NAME OF PETITIONER/RESPONDENT
SHEELA GUPTA AND ANOTHER
....Petitioners(s)/Appellant(s)
VERSUS
GOKUL CHAND AND OTHERS
.... Respondents(s)
To,
1. GOKUL CHAND S/O BANWARILAL R/O RAMPURASWAMIYO KI DHANI, SHAHPURA, 1550, JAIPUR
PID: 307413/2025 FOR R(1) IN SLP(C) NO.18847/2024 (SEC XV)
2. SURENDRA KUMAR S/O SADHURAM, R/O WARD NO.14, NEW COLONY, DISTRICT- JAIPUR PIN CODE- 303103
PID: 307414/2025 FOR R(2) IN SLP(C) NO.18847/2024 (SEC XV)
3. RAJESH SINGH S/O SHAMBHU SINGH, R/O 508, ANAND BHAWAN, MUNSHI RAMDAS JIKA RASTA, AAMER ROAD, JAIPUR- 302012
PID: 307415/2025 FOR R(4) IN SLP(C) NO.18847/2024 (SEC XV)
WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief (copy enclosed) filed in the Registry by **Mr. SUNIL KUMAR JAIN,** Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before this Court on 13th August, 2024 when the Court was pleased to pass the following order:-
" Delay condoned subject to the condition that in the event of special leave petition being allowed and the amount being enhanced, the petitioners shall not be entitled to any interest for the "period of delay in filing the instant petition.
Issue notice."
AND WHEREAS, the matter above-mentioned was listed before **Hon'ble Judge-In-Chambers** on **11th December, 2025,** When the following order was passed:- **"IA No. 174338/2024**
The above- mentioned Interlocutory Application is not pressed by the learned counsel for the petitioner. IA No. 227694/2025 T The Interlocutory Application for substituted service filed by the learned counsel for the petitioner is allowed. Learned counsel for the respondent no.3 seeks some time to file counter affidavit.
As prayed two weeks' time is granted to file the counter affidavit.
NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition with prayer for interim relief will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this Court either in person or through an advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of service of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why Special Leave Petition and interim relied as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.
Take Further Notice that the prayer for interim relief after notice will also be listed before the Court in due course.
You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed or hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.
TAKE FURTHER NOTICE that if you to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of disposed of in your absence.
Dated: 18th December, 2025
ASSISTANT REGISTRAR
Important Notice
LEGAL AID
(1) Legal Services of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants.
For further information, please contact the Secretary, Supreme Court Legal Services Committee or the Member Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, 107-108, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block - Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel Nos. 011-23116353, 23116354 (Additional Building Complex) and 011-23381257 (Front Office))
MEDIATION
(2) The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court.
For further information, please contact the Coordinator, Supreme Court Mediation Centre, 109, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block - Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel No. 011-23071432)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 1/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री टेकचन्द स्वामी पुत्र स्व. श्री कन्हैयाराम स्वामी निवासी श्योपुर, तह. मुण्डावर खैरथल-तिजारा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत बाबा मोहनराम जी प्रन्यास, ग्राम श्योपुर, तहसील मुण्डावर, खैरथल-तिजारा राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.03.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर**

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 03/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री राजन प्रकाश शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट प्लाट नं. 11 शिवपुरी-ए कॉलोनी खातीपुरा बोरिंग रोड झोटवाडा जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 416/2013 के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास की बैठक में सर्वसम्मति से प्रन्यास विधान में संशोधन कर संशोधित विधान को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.02.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जयपुर
Email ID: bdo.jai.gov.@gmail.com **Phone No. 01423-230025**
क्रमांक- पंसगो/लेखा/ई-निविदा/2025/188 दिनांक- 07.01.2026
निविदा सूचना संख्या /2025-26
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत समिति गोविन्दगढ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यों/संकर्म हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रतिष्ठानों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan .gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।
NIB NO OFFLINE- PFA2526A0367 TO PFA2526A0368 AND PFA2526A0378 TO PFA2526A081
UBN NO OFFLINE-PFA2526WSOB00367 TO PFA2526WSOB00368 AND PFA2526WSOB00378 TO PFA2526WSOB00381
NIB NO ONLINE- PFA2526A0372 TO PFA2526A0377, AND PFA2526WSOB0383, UBN NO. ONLINE-PFA2526WSOB00372 TO PFA2526WSOB00377 AND PFA2526WSOB00383
पूर्व में जारी निम्नानुसार निविदाओं को निरस्त भी किया गया है-
NIB NO. ONLINE- PFA2526A0369, TO PFA2526A0371 AND PFA2526A0357
UBN NO ONLINE-PFA2526WSOB00369 TO PFA2526WSOB00371 AND PFA2526WSOB00357
विकास अधिकारी
पंचायत समिति गोविन्दगढ (जयपुर)

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन सीकर (राज.)
क्रमांक-लेखा/2026-27/09 दिनांक-07.01.2026
दर अनुबंध निविदा सूचना
कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन सीकर (राज.) के अधिन संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन परं MEDICINE आपूर्ती हेतु कार्य/सेवाएं कराये जाने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहों/संवेदकों के निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्य	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	MEDICINE आपूर्ती हेतु	500000/-	10000/-	400/-	15.01.2026 दोपहर 02.00 बजे तक	16.01.2026 12.00 बजे तक

सदस्य सचिव
मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
सामु.स्वा. केन्द्र पाटन सीकर

उत्तर पश्चिम रेलवे — **ई–खुली निविदा सूचना**
संख्या : सी–45/1/टेण्डर/जीएमयू/ए–1 कैटेगरी/2025 दिनांक 24.12.25

1	कार्य का नाम एवं लोकेशन	जयपुर मंडल के "ए1" कैटेगरी के रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग सर्विस जीएमयू (GMU) का आवंटन (कैटरिंग स्टॉल)
2	जमा की जाने वाली बयाना राशि (प्रति यूनिट)	Name of station: JAIPUR (A1); Location / Amount of EMD (in Rs.): Stall No.-A1-13 Platform No. 4/5 — 269900/-; Stall No.-A1-14 Platform No. 4/5 — 328800/-; Stall No.-A1-15 Platform No. 4/5 — 379400/-
3	निविदा फार्म का मूल्य	"ए1" श्रेणी स्टेशनों पर GMU के लिए रूपये 7080/– प्रति सैट
4	कार्य की समाप्ति अवधि	पांच वर्ष
5	ई–निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.01.2026 समय 15.00 बजे
6	वेबसाइट विवरण	www.ireps.gov.in

45-DR/26
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कार्यालय नगरपरिषद करौली (राज.)

क्रमांक:4580 दिनांक: 08.01.2026

आपत्ती आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण एवं हितधारकों को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकान द्वारा 90ए/ 90बी के अन्तर्गत अपने भूखण्ड का नियमन कर पट्टा चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिनके आवेदन पत्र परिषद में पक्रियाधीन है।

अत: कोई भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक उक्त पत्रावलियों /दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहे अथवा कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तथा किसी भी आवेदक की पत्रावली के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हो, वह अन्दर अवधि 07 योग/ दिवस लिखित रूप में अपनी आपत्ति/उज्र इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है वाद गुजरने म्याद कोई आपत्ति स्वीकार/समाहित नहीं की जावेगी तथा पट्टा जारी करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

क्र. सं.	नाम आवेदक	पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूखण्ड सं.	वर्गगज
1.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा श्री मधुसुदन शर्मा	स्व. श्री राधावल्लभ शर्मा	499,500	1,47,48	480.82
2.	श्रीमति वन्दना शर्मा	श्री दिनेश चंद शर्मा	7290	15	163.33
3.	श्रीमति सुनिता	श्री योगेश गुप्ता	6950	...	41
4.	श्री अमरदीप जाटव श्री गिर्राज माली	श्री रामखिलाडी जाटव श्री शिल्लू	7216/1	19	150
5.	श्रीमति शकुन्तला पचौरी	श्री शिवदत्त पचौरी	5424, 5427	18	200
6.	श्री दुर्गालाल गौड	श्री चिरंजी लाल गौड	4671-72	....	488.11
7.	श्री प्रियंका शर्मा	श्री गौरव कुमार शर्मा	5544	28	125
8.	श्री मन्नू माली	श्री चिरंजी माली	....	....	....
9.	श्री दीलीप कुमार शर्मा	श्री रामकुमार शर्मा	7192	15,15ए	82.50
10.	श्री दुर्ग सिंह मीना	सुबेदार सिंह मीना	5179, 5180	100	133.33
11.	श्री दुर्ग सिंह मीना	सुबेदार सिंह मीना	5179	99	133.33
12.	श्रीमति मनीषा मीना	श्री राजेश मीना	5184	111	133.33
13.	श्रीमति मनीषा मीना	श्री राजेश मीना	5184, 5185	110	133.33
14.	श्रीमति अरूणा देवी	श्री अमर सिंह उर्फ दीप सिंह	5255	18	240

आयुक्त
नगरपरिषद, करौली